"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016 —— माघ 16, शक 1937

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2015/32. —— छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा;

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक एम-5/16, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

नियम 79-क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"79-ख.-सौर ऊर्जा- नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित क्षमता के सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित कुल विद्युत भार के अनुसार, उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित भवनों की छतों पर, निम्नानुसार की जायेगी,-

तालिका

स. क्र.	भवन की श्रेणी	संयोजित विद्युत भार	स्थापित होने वाले फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र की क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्त संस्था या निजी बिल्डर्स/डेव्हलपर्स,-	(एक) 50 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक	(एक) न्यूनतम 10 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) अथवा संयोजित विद्युत भार का 5%, जो भी अधिक हो
	(क) शैक्षणिक भवन		
	(ख) संस्थागत भवन		
	(ग) व्यापारिक भवन		
	(घ) वाणिज्यिक भवन		
	(ङ) औद्योगिक भवन		
	(च) सभा भवन		
	(छ) भण्डारण भवन	(दो) 1000 किलोवाट से अधिक	(दो) न्यूनतम 50 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) अथवा संयोजित विद्युत भार का 3%, जो भी अधिक हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 3-10/2015/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-02-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd February 2016

NOTIFICATION

No. F 3-10/2015/32. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette;

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary, Gpvernment of Chhattisgarh, Department of Housing and Environment, Room Number M-5/16, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rule,-

After Rule 79-A, the following shall be inserted, namely :-

"**79-B.-Solar Energy-** Establishment of Solar Energy Electrical Plant of the capacity mentioned in column (4) of the Table below on roof tops of the buildings mentioned in column (2) of the said Table according to the total Electric load mentioned in column (3) of the said Table shall be as follows,-

TABLE

S. No.	Division of Building	Combined Electric load	Capacity of Photovoltaic Electrical Plants to be Installed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Government, Semi-Government, Autonomous Institutes or Private Builders/Developer's,-	(i) From 50 Kilowatt to 1000 Kilowatt	(i) Minimum 10 Kilowatt peak (kWp) Or 5% of the combined Electric load whichever is more
	(a) Educational Building		
	(b) Institutional Building		
	(c) Business Building		
	(d) Commercial Building		
	(e) Industrial Building		
	(f) Conference Building		
	(g) Storage Building	(ii) More than 1000 Kilowatt	(ii) Minimum 50 Kilowatt peak (kWp) Or 3% of the combined Electric load whichever is more."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.